बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कार्यालय आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मुख्यालय, पटना के अंतर्गत विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक–I/172611/2024 दिनांक–18.11.2024 द्वारा गठित आंतरिक परिवाद समिति को संशोधित करते हुए पुनः निम्नवत रूप से आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है :–

क्र0	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	परिवाद समिति के तहत पद	मोबाईल नं0	ई0मेल आई0डी
01	श्रीमती एकता वर्मा, अपर सचिव	पीठासीन पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष	9334416295	aektav@gmail.com
02	श्री गौरी शंकर तिवारी, अवर सचिव	सदस्य	7544095564	foodbihar@gmail.com
03	श्रीमती माध्वी सागर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य	9834239543	foodbihar@gmail.com
04	सुश्री रश्मि राज, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य	7632947687	foodbihar@gmail.com
05	श्रीमती वाई0 माधवी, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना	बाह्य सदस्य	6287095419	madhulawbih@gmail.com

02. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – प्र01–विविध–15/2025 6657 खाद्य, पटना/दिनांक–27-10-2025

प्रतिलिपि–श्रीमती एकता वर्मा, अपर सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग/विभागान्तर्गत सभी महिला पदाधिकारी/महिला कर्मी (संविदा सहित) एवं आंतरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – प्र01–विविध–15/2025 6657 खाद्य, पटना/दिनांक–27-10-2025

प्रतिलिपि–विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अविलंब अपलोड करते हुए प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – प्र01–विविध–15/2025 6657 खाद्य, पटना/दिनांक–27-10-2025

प्रतिलिपि–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, दरोगा राय पथ, रोड नं0–02, आर ब्लॉक, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।